दिसंबर, 2022 के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की प्रमुख गतिविधियों का मासिक सार

I. स्वच्छ भारत मिशन

i. सभी 4,715 शहरों/कस्बों को ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) घोषित किया गया है, जिनमें से 4,355 शहरों को तीसरे पक्ष के सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित किया गया है, 3,547 शहरों को ओडीएफ+ के रूप में प्रमाणित किया गया है, 1191 शहरों को ओडीएफ++ और 14 शहरों (इंदौर, सूरत, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी), तिरुपति, चंडीगढ़, नवी मुंबई, विजयवाड़ा, हैदराबाद, ग्रेटर विशाखापत्तनम, कराड, पंचगनी, भोपाल, बारामती और मैसूर) को जल+ के रूप में प्रमाणित किया गया है।

ii. 3,326 से अधिक शहरों में 67,407 शौचालय "एसबीएम शौचालय" के नाम से गूगल मानचित्र पर हैं।

iii. स्वच्छता ऐप संबंधित नगर निगम द्वारा नागरिकों को उनकी शिकायतों को दूर करने में सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है। स्वच्छता ऐप के कुल 2.08 करोड़ उपयोगकर्ता हैं, जिन्होंने 2.55 करोड़ शिकायतें पोस्ट की हैं, जिनमें से 2.39 करोड़ शिकायतों का समाधान किया गया है जो संकल्प से अधिक 94% है।

iv. जीएफसी 2022 का परिणाम स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह, 2022 के भाग के रूप में 1 अक्टूबर, 2022 को घोषित किया गया था। कचरा मुक्त शहरों (जीएफसी) के स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत 7 स्टार प्रमाणपत्र वाले शहरों की संख्या 1, 5 स्टार वाले शहरों की संख्या 11, 3 स्टार वाले शहरों की संख्या 199 और 1 स्टार शहर वाले शहर की संख्या 234 है।

v. 23 दिसंबर 2022 को सर्कुलर इकोनॉमी पर मुख्य सचिवों के साथ वर्चुअल सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में श्री राजीव गॉबा, मंत्रिमंडल सचिव और श्री पी.के. मिश्रा, माननीय प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव शामिल थे। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों, एसीएस/प्रधान सचिवों, मिशन निदेशकों और विभिन्न राज्यों के मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के आयुक्तों और विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों ने भी भाग लिया।

vi. 21 दिसंबर 2022 को आयोजित एसबीएम-यू के लिए राष्ट्रीय सलाहकार और समीक्षा समिति (एनएआरसी) की 7वीं बैठक में, एसबीएम-यू 2.0 के तहत ठोस अपशिष्ट

प्रसंस्करण सुविधाओं, प्रयुक्त जल प्रबंधन सुविधाओं, क्षमता निर्माण और आईईसी घटक को सुदृढ़ बनाने हेतु 12 राज्यों (उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश, लद्दाख, मेघालय, मणिपुर, केरल, कर्नाटक, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान) के लिए 2,500 करोड़ रू. से अधिक की कार्य योजनाएं स्वीकृत की गईं।

II. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

i. सभी राज्यों के लिए 77,640 करोड़ रू. की राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) को अंतिम रूप दे दिया गया है। आज की स्थिति के अनुसार, 82,903 करोड़ रू. की लागत वाली परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अनुमोदन दिया गया है। कुछ राज्यों ने अपने अनुमोदित एसएएपी से अधिक परियोजनाएं आरंभ कर दी हैं। ऐसे मामलों में संपूर्ण अतिरिक्त राशि राज्यों/यूएलबी द्वारा वहन की जाएगी। 33,381 करोड़ रुपये की 4,720 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है और 48,864 करोड़ रुपये की 1,155 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। कुल मिलाकर, पूर्ण/चल रही अमृत परियोजनाओं में लगभग 67,371 करोड़ रु. का वास्तविक कार्य किया गया है, जिसका अर्थ है कि लगभग 87% वास्तविक कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

ii. अब तक, परियोजना कार्यान्वयन (पूर्व जेएनएनयूआरएम की पात्र परियोजनाओं सहित), प्रशासनिक और कार्यालय व्यय (ए एंड ओई), सुधार प्रोत्साहन के लिए और अमृत शहरों में 'जीआईएस आधारित मास्टर प्लान' तैयार करने पर तथा 25 चयनित शहरों में 'स्थानीय क्षेत्र योजना (एलएपी) और नगर आयोजन योजना (टीपीएस)' पर उप-योजनाओं के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 37,533 करोड़ रू. जारी किए गए हैं।

III. दीनदयाल अंत्योदय योजना /राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई/एनयूएलएम)

i. 10,913 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बनाए गए हैं; 11,705 एसएचजी को परिक्रामी निधि दी गई; 23,347 उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए; 8,466 प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्लेसमेंट दिया गया; 10,176 लाभार्थियों को व्यक्तिगत और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए ऋण द्वारा सहायता उपलब्ध कराई गई और एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत एसएचजी को 23,368 ऋण प्रदान किए गए।

IV. पीएम पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)

i. पीएम पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) के तहत, 60,31,809 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 45,21,149 संस्वीकृतियां दी गई हैं और 38,93,332 संवितरण किए गए हैं।

ii. दिसंबर माह के दौरान मिशन के तहत कुल 80.01 करोड़ रू. जारी किए गए हैं।

V. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)/सबके लिए आवास (एचएफए)

i. शुरूआत से लेकर अब तक, मिशन में 1.23 करोड़ आवसों को संस्वीकृति दी गई है, जिनमें से 107.30 लाख आवास निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 67.10 लाख आवासों को पूर्ण/सुपुर्द किया जा चुका है।

ii. दिसंबर, 2022 के दौरान पीएमएवाई मिशन के तहत कुल 7483.99 करोड़ रू. जारी किए गए हैं।

VI. आवासन

i. नागालैंड, जो नियम अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है, को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने रेरा के तहत नियम अधिसूचित किए हैं।

ii. 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (नियमित - 26, अंतरिम - 06) की स्थापना की है। लद्दाख, मेघालय और सिक्किम ने नियमों को अधिसूचित कर दिया है और विनियामक प्राधिकरणों की स्थापना अभी की जानी है।

iii. 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण (नियमित -24, अंतरिम-04) की स्थापना की है (अरूणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मेघालय, मिज़ोरम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल स्थापना की प्रक्रिया में हैं)।

iv. 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विनियामक प्राधिकरणों ने रेरा के प्रावधानों के तहत अपनी वेबसाइटों का प्रचालन आरंभ कर दिया है (अरूणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और मणिपुर प्रचालन की प्रिक्रया में हैं)।

v. देश भर में भू-संपदा विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अब तक 1,05,731 शिकायतों (इस माह के दौरान 2,115 शिकायतों सहित) का निपटान किया गया है।

vi. अब तक 1, 00,166 भू-संपदा परियोजनाओं और 73,090 भू-संपदा एजेंटों ने रेरा के तहत पंजीकरण कराया है। इस माह के दौरान 1,880 परियोजनाओं और 1,352 एजेंटों का पंजीकरण किया गया है।

*****